भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता का न्यायालय, जगन्नाथपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :– 02 / 2016–17

सुमान्त ज्योति सिंकु

बनाम

कुमार नीरज सिंकु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

दिनांक 11.05.2016 को सुमान्त ज्योति सिंकु, पिता स्व॰ केदारनाथ सिंकु, सा॰ जगन्नाथपुर, थाना जगन्नाथपुर के रहने वाले है, का एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 101 / 2014–15 में वर्णित भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के न्यायादेश के विरूद्ध अपील की गई थी। भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	प्लॉट नं॰	रकवा
जगन्नाथपुर	712	445	2321	0.23.33 डी॰

इस वाद में द्वितीय पक्ष कुमार नीरज सिंकु, पिता स्व॰ केदारनाथ सिंकु सा॰ जगन्नाथपुर, थाना जगन्नाथपुर को बनाये जाने का आग्रह किया गया था।

अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा नामान्तरण न्यायादेश 02.02.2015 को पारित किया गया था तथा यह अपील न्यायादेश के एक साल से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात् दायर किया गया था जो कि कालवाधित समयावधि से प्रभावित थी। इस संबंध में अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए बतलाया कि अनभिज्ञता के कारण ससमय अपील दायर नहीं की जा सकी थी। अपीलार्थी के द्वारा अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

इस पर सुनवाई करते हुए भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता जगन्नाथपुर के द्वारा दिनांक 25.06.2016 को अपील स्वीकृत किया गया। वादी ने अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 101 / 2014–15 में दिये गये न्यायादेश के विरूद्ध अपील करते हुए प्रतिवेदित किया है कि :–

1. अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा पारित न्यायादेश कानून एवं तथ्यों के आधार पर बनाये रखने योग्य नहीं है।
2. तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नामान्तरण वाद में वर्णित भूमि का नामान्तरण प्रथम पक्ष को नहीं किया जाना चाहिए था।
3. अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा इस बात को नजर अंदाज किया गया कि इस वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा हाल सर्वे खतियान में मोहन सिंकु, तुरी सिंकु के नाम पर संयुक्त रूप से जमाबंदी पंजी में दर्ज है।
4. पैतृक सम्पत्ति में सभी हिस्सेदारों का समान हक एवं दखल होता है और ऐसे भी द्वितीय पक्ष को बिना हिस्सेदारों की सहमति के भूमि के किसी भी भू–भाग को उत्तराधिकारी नामान्तरण करने का अधिकार नहीं है।
5. केदारनाथ सिंकु के तीन पुत्र है क्रमशः सुमन ज्योति सिंकु, कुमार नीरज सिंकु एवं कुमार गुंजन सिंकु और वर्णित भूमि पर तीनों का बराबर का हक बनता है।
6. इस प्रकार अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा पारित यह नामान्तरण न्यायादेश न्याय एवं सत्य के हिसाब से त्रुटिपूर्ण है। अतएव निम्न न्यायालय के न्यायादेश को अपास्त (रद्द) किया जाना चाहिए।

इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवेदति किया गया है कि :–

1. इस वाद में मेरी पत्नी श्रीमती मरियम हांसदा के कहने पर मैं उक्त भूमि को अपना नाम में उत्तराधिकारी नामान्तरण हेतु आवेदन दिया।
2. उत्तराधिकारी नामान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पर मैं अपने पत्नी के दवाब में आकर अपने छोटे भाई से एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करबाया था, इस संबंध में मेरा बड़ा भाई सुमन ज्योति सिंकु को कोई जानकारी नहीं थी।
3. नामान्तरण प्रक्रिया के दस्तावेजों पर मेरी पत्नी मरियम सिंकु में मेरी माँ का फर्जी हस्ताक्षर किया था।
4. प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 19.03.2016 को अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर को संबोधित आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि खाता संख्या 445, प्लॉट संख्या 2321, रकवा 0.35 डी॰ जमीन का नामान्तरण रद्द करने का अनुरोध किया है।

वादी तथा प्रतिवादी के द्वारा दायर किये गये प्रतिवेदनों, कागजातों अधिवक्ता को सुनने एवं प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् मै इस निर्णय पर पहुचती हूँ की :–

1. वर्णित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। तथा वादी एवं प्रतिवादी एक हीं वंशज के है।
2. वादी–प्रतिवादी तथा अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा भूमि के बँटवारे के संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय में समर्पित नहीं

किया गया।

3. अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा संलग्न वंशावली के अनुरूप सभी पक्षकारों को न तो नोटिस निर्गत किया गया और न ही उनका पक्ष लिया गया।
4. वर्णित भूमि चुकि संयुक्त खाते की भूमि है। अतः जमीन का नामान्तरण शेष पक्षकारों के अनापत्ति अथवा बिना बँटवारानामा के किया जाना गलत है।
5. अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त कंडिका "4" में वर्णित शर्तों के आधार पर सुनवाई करते हुए उचित आदेश पारित करेंगे। तद्नुसार पूर्व में किए नामान्तरण वाद आदेश संख्या 101/2014–15 को निरस्त किया जाता हे।
6. अभिलेख अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर को वापस करें।

(लेखापित)

05/7/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
–सह– अनुमण्ड़ल पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

05/7/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
–सह– अनुमण्ड़ल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।